राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
119/23	06.04.2023	17.02.2025

उनवान:

1. सूरतसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति अहीर
2. लालसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति अहीर
3. महेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति अहीर
4. विक्रमसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति अहीर
5. सुबेसिंह पुत्र मेहरचन्द जति अहीर
6. कृष्ण कुमार पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर
7. राजबाला पुत्री मेहरचन्द जति अहीर
8. सुशीला पुत्री मेहरचन्द जति अहीर
9. बिमला पुत्री मेहरचन्द जति अहीर सभी निवासी ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.......वादनी

बनाम

1. कैला देवी पुत्री जयसिंह हाल पत्नी हंसराज निवासी ग्राम नन्दरामपुरबास तहसील व जिला रेवाडी हरि0
2. महाबीर पुत्र राममूल निवासी ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
3. रामनरेश पुत्र अभयसिंह हाल निवासी गली नम्बर 8, शिवनगरबास रोड धारूहेडा हरि0
4. मनोज पुत्र श्यामलाल हाल निवासी बीजवाड चौहान तहसील गुण्डावर जिला अलवर नया जिला खैरथल–तिजारा राज0।
5. चन्द्रभान पुत्र श्यामलाल हाल निवासी बीजवाड चौहान तहसील गुण्डावर जिला अलवर नया जिला खैरथल–तिजारा राज0।
6. सन्तरा पुत्री जयसिंह निवासी फौलादपुर हाल पत्नी लखीचन्द हाल निवारी केशुपुर पो. जयसिंहपुरखेडा तहसील बावल जिला रेवाडी हरि0।
7. विजेन्द्र पुत्र शेरसिंह जाति अहीर
8. मामचन्द पुत्र विरजूसिंह जाति अहीर
9. रमेश पुत्र विरजू सिंह जाति अहीर
10. राकेश पुत्र विरजूसिंह जाति अहीर
11. सतीराम पुत्र सुखराम जाति अहीर सभी निवासी ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
12. उप पंजीयक नीमराना तहसील नीमराना
13. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

.......प्रतिवादीगण

दावा बावत दुरूस्ती इन्द्राजात एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थिति :– श्री उदयसिंह यादव योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से

॥ निर्णय ॥

पत्रावली पेश हुई। वादीगण द्वारा पेश दावा के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खसरा नम्बर हाल 1886 रकबा 0.29 है0, 1887 रकबा 0.29 है0, 1888 रकबा 0.30 है0,

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना

वाके ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना मे स्थित है। उक्त खसरा नम्बरान का संवत 2042 से पुर्व के खसरा नम्बर 1313 रकबा 3 बिघा 18 बिस्वा था तथा संवत 2020 से पुर्व के खसरा नम्बर 553,554,561,564 थे। संवत 2020 एवं जमाबन्दी संवत 2018 के खाता सं0 174 के अनुसार हम वादीगणा के बुजूर्ग मेहरचन्द व नारायण पुत्रान श्योजी समभाग 2/3 तथा जयसिंह पुत्र झूथा 1/3 हिस्से के खातेदार दर्ज रिकार्ड थे इसी अनुसार मौके पर काबिज रहकर काश्त करते थे तथा जयसिंह पुत्र झूथा का हिस्सा सुखराम पुत्र श्योजी अहीर निवासी फौलादपुर द्वारा काश्त किया जा रहा था जिसका इन्द्राज संवत 2018 की जमाबन्दी मे सिक्कमी 1/3 भाग का इन्द्राज किया हुआ है। हम वादीगण के बुजूर्गो द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का मौके पर बाहमी बंटवारा कर लिया था। जिस बंटवारा के मुताबिक जयसिंह पुत्र झूथा बयकाश्त सुखराम पुत्र श्योजी के हिस्से के 1/3 भाग का नया नम्बर 1886 रकबा 0.29 है0 कायम कर उसकी खातेदारी सुखराम पुत्र श्योजी के नाम से दर्ज कर दी गई तथा हम वादीगण के बुजूर्ग के हिस्से की भूमि के खसरा नम्बर 1887, 1888 कायम कर इनके 2/3 हिस्सा की खातेदारी हम वादीगण के बुजूर्ग मेहरचन्द व नारायण पुत्रान श्योजी के नाम से दर्ज कर दी गई तथा 1/3 हिस्सा गलती व लापरवाही से दुल्ला,जयसिंह पुत्रान झूथा के नाम से गलत दर्ज कर दिया गया। जबकि उक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की खातेदारी हम वादीगण के बुजूर्गो के नाम से दर्ज होनी चाहिए थी। उक्त खसरा नम्बरान से दुल्ला व जयसिंह का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही था। दुल्ला पुत्र झूथा ने अपना 1/6 भाग हम वादगण के बुजूग मेहरचन्द व नाराायण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव मे आने से पुर्व ही बेचान ककर दिया था। जिसके बाद दिनांक 28.01.1962 को सहायक भू–प्रबंध अधिकारी बहरोड कैंप शाहजहापु र पर आवेदन पत्र लगाने पर कार्यवाही हुई जिस आवेदन पर मेहरचन्द पुत्र श्योजी खरीददार तथा दुल्ला पुत्र झूथा विक्रेता के बयान लिऐ जाकर भू–प्रबंध अधिकारी नोटिस दिये जाकर बुलाकर जांच करके दुल्ला पुत्र झुाा का हिस्सा हम वादीगण के बुजूगो के हिस्से मे शामिल करते हुऐ साबिक खसरा नम्बर 1313 रकबा 3 बिघा 18 बिस्वा मे दुल्ला जयसिंह पुत्रान झुथा का हिस्सा रकबा 1।) तथा मेहरचन्द व नारायण पुत्रान श्योजी का 2।)3 बिस्वा का अंन किया है। तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज थे। संवत 2020 मे दुल्ला पुत्र झुाा के नाम काा अंकन सहवन से गलत हो गया जो आज तक गलत नाम बदस्तूर चल रहा है तथा सैग्रिगेशन जमाबन्दी तैयार की गई उसमे राजस्व कर्मचारियेा द्वारा गलती व लापरवाही से बिना मौके पर कब्जा काश्त की जांच किये ही हम वादीगण के बुजूर्ग मेहरचन्द नारायण पुत्रान श्योजी प्रत्येक के नाम से हिस्सा–1/11 की खातेदारी दर्ज कर दी गई और शेष खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज कर दी गई। जो गलत खातेदारी हम वादीगण के हक हकूको के खिलाफ बातिल व बेअसर है। इस प्रकार बन्दोबस्त संवत 2042 मे की गई गलती को दुरूस्त किया जाकर, साबिक रिकार्ड एवं मौके पर कब्जा काश्त के मुताबिक खसरा नम्बर हाल 1887, 1888 पर से प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज गलत खातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उसके खातेदार हम वादीगण को घोषित किये जावे तथा आराजी मुतनाजा के हाल गलत राजस्व इन्द्राज के मौका व रिकार्ड की यथास्थिती बनाई रखने के लिए प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पावन्द किया जाने की प्रार्थना की गई।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये । प्रतिवादी सं0 1 लगा0 13 वावजूद तामिल तारीख पेशी पर न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 22.04.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण नियत की गई ।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन मे मौखिक साक्ष्य के रूप मे पी.ड.–1 वादी सूरतसिंह के तथा पी.ड.2 लालसिंह पुत्र नारायणसिंह के तथा पी.ड.–3 सुबेसिंह पुत्र

मेहरचन्द के बयान शपथ पत्र पेश किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे प्रदर्श–1 से प्रदर्श–19 प्रदर्शित करवाये गये है। प्रतिवादीगण की एक तरफा कार्यवाही होने के कारण प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की गई। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा अपने दावा के तथ्यो को दौहराते हुऐ पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादीगण का वाद साबित होने के कारण, डिक्री फरमाया जाने के तर्क दिये गये तथा वकील वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य के समर्थन मे लिखित बहस पेश की गई।

हमने वकील वादीगण द्वारा पेश लिखित बहस का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्रदर्श– 1 से 19 का ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया। प्रदर्श सं0 1 व 2 जमाबन्दी संवत 2073 से 76 के मुताबिक विवादित खसरा नम्बर हाल 1887 रकबा 0.29 है0, 1888 रकबा 0.30 है0, 1886 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम फौलादपुर मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श–7 के मुताबिक खसरा नम्बर 1313 रकबा 3 बिघा 18 बिस्वा से बनाये गये है। 8 जमामाबन्दी संवत 2020 मे खसरा नम्बर साबिक 1313 रकबा 3 बिघा 18 बिस्वा के दूला जयसिंह पि. झूथा हि0 रकबा 1।) व मेहरचन्द नारायण पि. श्योजी हि0 रकबा 2।।)3 बिस्वा खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। संवत 2020 से पुर्व के खसरा नम्बर 553 रकबा 2 बिघा 13 बिस्वा, 554 रकबा 12 बिस्वाख 561 रकबा 5 बिस्वा, 564 रकबा 8 बिस्वा थे। उक्त भूमि की बाबत ए.एस.ओ. बहरोड द्वारा दिनांक 07.06.1962 को निर्णय पारित किया गया है। जिसमे खसरा नम्बर 1313 रकबा 2 बिघा 13 बिस्वा की खातेदारी मेहरचन्द व नारायण पि. श्योजी के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है। लेकिन खसरा नम्बर 1313 से कायम खसरा नम्बर 1886 रकबा 0.29 है0 प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज कर दी गई लेकिन खसरा नम्बर 1887, 1888 वादीगण के नाम से दर्ज होनी चाहिऐ थी । लेकिन उक्त खसरा नम्बरान मे भी प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6 व इनकी माताजी सरवन बेवा जयसिंह के नाम से खातेदारी गलत दर्ज किया जाना जाहीर होता है। खसरा नम्बर 1887,1888 का कुल रकबा 0.59 है0 बनता है जो मेहरचन्द, नारायण की खातेदारी भूमि 2 बिघा 13 बिस्वा के हिसाब से कम है तथा खसरा नम्बर 1886 रकबा 0.29 है0 पहले से ही प्रतिवादी सं0 7 लगा. 11 के नाम से खातदारी दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 18887, 1888 मे मेहरचन्द व नारायण के नाम से दर्ज होने बाबत पत्रावली पर पर्याप्त दस्तावेजात उपलब्ध है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो का पूर्ण अवलोकन से न्यायालय की विनम्र राय के मुताबिक वादीगण का वाद साबित होने के कारण डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर खसरा नम्बर 1887 रकबा 0.29 है0, 1888 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना के हाल जमाबन्दी दर्ज तमाम खातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाता है और उक्त खसरा नम्बर 1887,1888 के वादी सं0 1 लगा0 4 प्रत्येक को हिस्सा–1/8 के तथा वादी सं0 5 लगा. 9 प्रत्येक को हिस्सा–1/10 के खातेदार घोषित किये जाते है एवं इसी अनुसार हाल राजस्व जमाबन्दीयात, खसरा गिरदावरीजात मे इन्द्राज करने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। तथा पत्रावली फैसल सूमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
119/23	06.04.2023	17.02.2025

उनवानः

1. सूरतसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति अहीर
2. लालसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति अहीर
3. महेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति अहीर
4. विक्रमसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति अहीर
5. सुबेसिंह पुत्र मेहरचन्द जति अहीर
6. कृष्ण कुमार पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर
7. राजबाला पुत्री मेहरचन्द जति अहीर
8. सुशीला पुत्री मेहरचन्द जति अहीर
9. बिमला पुत्री मेहरचन्द जति अहीर सभी निवासी ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

........वादनी

बनाम

1. कैला देवी पुत्री जयसिंह हाल पत्नी हंसराज निवासी ग्राम नन्दरामपुरबास तहसील व जिला रेवाडी हरि0
2. महाबीर पुत्र राममूल निवासी ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
3. रामनरेश पुत्र अभयसिंह हाल निवासी गली नम्बर 8, शिवनगरबास रोड धारूहेडा हरि0
4. मनोज पुत्र श्यामलाल हाल निवासी बीजवाड चौहान तहसील मुण्डावर जिला अलवर नया जिला खैरथल–तिजारा राज0।
5. चन्द्रभान पुत्र श्यामलाल हाल निवासी बीजवाड चौहान तहसील मुण्डावर जिला अलवर नया जिला खैरथल–तिजारा राज0।
6. सन्तरा पुत्री जयसिंह निवासी फौलादपुर हाल पत्नी लख्मीचन्द हाल निवासी केशुपुर पो. जयसिंहपुरखेडा तहसील बावल जिला रेवाडी हरि0।
7. विजेन्द्र पुत्र शेरसिंह जाति अहीर
8. मामचन्द पुत्र बिरजूसिंह जाति अहीर
9. रमेश पुत्र बिरजू सिंह जाति अहीर
10. राकेश पुत्र बिरजूसिंह जाति अहीर
11. सतीराम पुत्र सुखराम जाति अहीर सभी निवासी ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
12. उप पंजीयक नीमराना तहसील नीमराना
13. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

.......प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थिति :– श्री उदयसिंह यादव योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

।। आदेश ।।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर खसरा नम्बर 1887 रकबा 0.29 है0,1888 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना के हाल जमाबन्दी दर्ज तमाम खातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाता है और उक्त खसरा नम्बर 1887,1888 के वादी सं0 1 लगा0 4 प्रत्येक को हिस्सा–1/8 के तथा वादी सं0 5 लगा. 9 प्रत्येक को हिस्सा–1/10 के खातेदार घोषित किये जाते है एवं इसी अनुसार हाल राजस्व जमाबन्दीयात, खसरा गिरदावरीजात मे इन्द्राज करने का आदेश दिया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0